

## राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०२०-१६२७

प्रेषक,

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार।

सेवा में,

1. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
2. अवर सचिव, वै०दा०नि०को० (वित्त विभाग), बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- २९-१२-२०२१

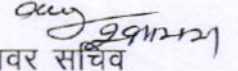
विषय:- ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारी के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित सेवा के पदाधिकारी के संबंध में जिला पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

| क्र० सं० | पदाधिकारी का नाम                                                          | प्रशिक्षण अवधि                 | जिला पदा०/समाहर्ता द्वारा प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करने की तिथि |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | श्री अरुण कुमार सरदार,<br>परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी,<br>वैशाली। | 22.11.2021 से<br>05.12.2021 तक | निर्गत तिथि<br>20.12.2021                                      |

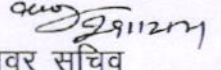
विश्वासभाजन,

  
अवर सचिव

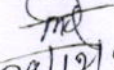
राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०२०-१६२७ पटना, दिनांक:- २९-१२-२०२१

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं श्री अरुण कुमार सरदार, परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अवर सचिव

राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना।

  
२९/१२/२१